

फर्द अहकाम



सुरजान चौधरी

बनाम

ओमप्रकाश वगै०

दालय का नाम-उपखण्ड अधिकारी जोबनेर

सं० ३५/२०२५

सं०	दिनांक आज्ञा या कार्यवाही	आज्ञा विस्तृत रूप से	विशेष विवरण
	25.03.2025	<p>अधिवक्ता श्री जगदीश चौधरी द्वारा वाद बाबत विभाजन एवं स्थाई निषेधाज्ञा पेश किया गया। रिपोर्ट सरिस्टें हो चुकी है। अतः दर्ज रजिस्टर हो। प्रतिवादीगण की तलबी जरिए रजि०एडी० नोटिस जारी होकर पत्रावली दिनांक 23.04.2025 को पेश हो।</p> <p style="text-align: center;"> उपखण्ड अधिकारी जोबनेर, जयपुर</p> <p>23-4-25 पत्रावली पेश हुई। वादीगण एवं उनके अधिवक्ता अनुपस्थित। वादीगण को दाल में भागालय से धृष्टक-धृष्टक समझ पर तीन-तीन बार आवाज लगावकी गयी। आवाजूर भावाज लगवाये जाने के उपरांत भी वादीगण के भागालय के बाहर नहीं जाने के कारण पत्रावली सन्नति बास्त्र-व क्रियम-३ प्रा० प्री. के तहत अग्र दायरी व अग्र पेशकी में स्वारिप की जाती है। पत्रावली प्रोबल कुमार डीकर नगर से काम डीकर दाखिल दालतर है।</p> <p style="text-align: right;"> उपखण्ड अधिकारी जोबनेर, जयपुर</p>	